

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेय कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक

/स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल,दिनांक

--: कार्यालय आदेश :-

म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति संबंधी आवेदनों के निराकरण के पूर्व तकनीकी प्रस्तुतीकरण कराये जाने संबंधी लागू व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

- 1 वृहद एवं मध्यम श्रेणी के केवल उन्हीं उद्योगों को तकनीकी प्रस्तुतीकरण कराया जाये जिन प्रकरणों में माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो ।
- 2 लघु श्रेणी के प्रकरणों में तकनीकी प्रस्तुतीकरण की अनिवार्यता समाप्त की जाती है ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ०क्रमांक 1146 /स्था/प्रनिबो/2015
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 12 MAY 2015

- 1 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
 - 2 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
 - 3 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
- ✓ आईटी शाखा/गार्ड फाईल ।

(ए.ए.मिश्रा)

सदस्य सचिव

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

९